न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/186/13

निर्णय दिनांक : 01.06.2016

उनवान

1. जतन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह ठाकुर (राजपूत) निवासी ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादी

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र श्री बदलू जाति खाती
2. खुशीराम पुत्र श्री बदलू जाति खाती
3. बदलू पुत्र श्री भजनलाल जाति खाती
4. पूरण पुत्र श्री भजनलाल जाति खाती, निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर में प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त कुल कार्य कश्तकारी में किसी तरह की रूकावट मजाहमत पैदा नही करे न वादी को जबरन बेदखल करे न अपना नाजायज कब्जा करे न किसी तरह का जबरन निर्माण करावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में दिनांक 01.06.2016 को पेश हुई। प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नही आये। वादी ने उपस्थित होकर कथन किया कि मेरी विवादित आराजी की पैमाईश करा दी जावे। बाद पैमाईशं पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत व रूकावट नही करेंगे।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट में अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली है। राजीनामे के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर की नियमानुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व निर्माण आदि नही करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रघुनाथगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट रघुनाथगढ)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 1/186/13 निर्णय दिनांक : 01.06.2016

उनवान

1. जतन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह ठाकुर (राजपूत) निवासी ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर राज0।

..............................वादी

बनाम

1. सुन्दरलाल पुत्र श्री बदलू जाति खाती
2. खुशीराम पुत्र श्री बदलू जाति खाती
3. बदलू पुत्र श्री भजनलाल जाति खाती
4. पूरण पुत्र श्री भजनलाल जाति खाती, निवासियान ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.06 हैक्ट0 वाके ग्राम रघुनाथगढ तह0 रामगढ जिला अलवर की नियमानुसार पैमाईश करना सुनिश्चित करे। बाद पैमाईश पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करेगे व निर्माण आदि नही करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.06..2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)